फर्द अहकाम

2019/00303

नाम न्यायालयः- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

सहायक कलेक्टर [illegible] जिला जयपुर

छुट्टीलाल बनाम जगदीश

प्रकरण संख्या 152/19

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	3/8/21	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा दौरे / अन्य [illegible] व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही [illegible] को जा सकी [illegible] दिनांक 9/9/21 को पेश हो।
	9/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय द्वारा कन्डोलेन्स / कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 28/9/21 को पेश हो।
	28/9/21	रा[illegible] (गुप-1) विभाग [illegible]-1/2021 [illegible] पत्रावली प्र[illegible] 2021 मे दे[illegible] बराला में दिनांक 22/11/21 को पेश हो। पक्षकारों को [illegible] जारी हो।
हनुमान सहाय [illegible]		तेजकंवर
	22/11/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प बराला में पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित जिनकी पहिचान पटवारी द्वारा [illegible] करवाई गई है। वादी व प्रतिवादीगण [illegible] [illegible] गया। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों [illegible]
वादी - छुट्टीलाल [illegible]		तेजकंवर
[illegible]		

न्यायालय ... 2019/00303

नांक आज्ञा कार्यवाही	152/19 रामू लाल बनाम जगदीश — आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	पत्रावली अवलोकन करने एवं वादी व प्रतिवादी को सुनने के पश्चात एवं वादी व प्रतिवादी द्वारा दिये गये सहमति के फलस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ख.न. 35, 54, 62, 64, 67, 60 स्थित ग्राम डेंगारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर का दो भू.अ.नि. व चार पटवारी की टीम गठित कर सीमाज्ञान पक्षकारों की उपस्थिति में करके सीमा चिन्ह कायम करे। उक्त वादग्रस्त भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान होने के पश्चात उक्त वादग्रस्त भूमि में यदि वादी की भूमि में से प्रतिवादी की भूमि निकलती है तो उसे वादी छोड़ेगा और यदि प्रतिवादी की भूमि में वादी की भूमि निकलती है तो उसे प्रतिवादी गण छोड़ने को पाबन्द रहेंगे तथा जब तक उक्त वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान नहीं होता है तब तक उभय पक्ष मौके की यथा स्थिति बनाये रखेंगे। सीमाज्ञान होने के पश्चात वादी व प्रतिवादी आपसी अपनी सीमा में पाबन्द रहेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	आज दिनांक 22.11.21 को यह निर्णय प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कराला में मजमे आम में सुनाया गया।	
	(हस्ताक्षर)	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर , मुकाम बस्सी, जिला जयपुर बइजलास

पीठासीन अधिकारी- शिवचरण शर्मा आर0ए0एस

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

वादी	प्रतिवादीगण
1 मूलीलाल पुत्र भौरया 2 प्रहलाद पुत्र भौरया 3 बाबूलाल पुत्र भौरया समस्त जाति वागडा ब्राह्मण निवासी तहसील बस्सी जिला जयपुर। ग्राम गंगारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।	1 जगदीश पुत्र बद्रीनारायण 2 हनुमान सहाय पुत्र बद्रीनारायण समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गंगारामपुरा 3 तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर

दावा

अर्न्तधारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

152 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हमार ....

प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू हमारे मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.न. 35, 59, 62, 64, 67, 60 स्थित ग्राम गंगारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर का भू.अ.नि. व चार पटवारी की टीम गठित कर सीमाज्ञान पक्षकारों की उपस्थिति मे करके सीमा चिन्ह कायम करे। उक्त वाद ग्रस्त भूमि का नियमअनुसार सीमाज्ञान होने के पश्चात उक्त वाद ग्रस्त भूमि मे यदी वादी की भूमि मे से प्रतिवादी की भूमि निकलती है तो उसे वादी छोडने हेतु पाबन्द रहेगें। और यदी प्रतिवादी की भूमि मे वादी की भूमि निकलती है तो उसे प्रतिवादी छोडने हेतु पाबन्द रहेगें। तथा जब तक उक्त वाद ग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान नही होता है, तब तक उभयपक्ष मौके की यथा स्थिति बनाए रखेगें। सीमाज्ञान होने के पश्चात वादी व प्रतिवादी अपनी - अपनी सीमा मे पाबन्द रहेगें।

मुवक्किल.....बाबत.........खर्चा इस मुकददमे के मय सूद वगैरह ...... फीसदी सालाना

तारीख ....को अदा करे।

दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 22 /11 / 2021 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत..........

ओहदा सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

मीजान

(शिवचरण शर्मा)

सहायक कलक्टर बस्सी

जिला-जयपुर